न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

([illegible])

प्रकरण सं. [illegible]
विवाद प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.का.अधि.
निर्णय दिनांक [illegible]

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] तहसील नदबई(भरतपुर) राज.
2. [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] तहसील नदबई(भरतपुर) राज.

प्रार्थी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] हाल निवासी [illegible] तहसील नदबई(भरतपुर) राज.
2. रामदेई बेवा [illegible] पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी [illegible] हाल निवासी [illegible] तहसील नदबई(भरतपुर) राज.
3. [illegible] पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी [illegible] हाल निवासी [illegible] तहसील नदबई(भरतपुर) राज.
4. [illegible] पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी [illegible] हाल निवासी [illegible] तहसील नदबई(भरतपुर) राज.
5. सुमन पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी [illegible] हाल निवासी [illegible] तहसील नदबई(भरतपुर) राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
7. श्रीमान सब रजिस्ट्रार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री अशोक कुमार एड.

श्री [illegible] एड.

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 राज.का.अधि.

1. यह है कि उपरोक्त [illegible] न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसकी कार्यवाही की पूरी उम्मीद है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 374 रकवा 0.19 व 375 रकवा 0.20 व 376 रकवा 0.35 व 559 रकवा 0.31 व 568 रकवा 0.30 व 569 रकवा 0.31 व 602 रकवा 0.25 व 675 रकवा 0.27 व 676 रकवा 0.01 व 681 रकवा 0.14, व 682 रकवा 0.35 684 रकवा 0.33 व 685 रकवा 0.25 व 686 रकवा 0.12 व 689 रकवा 0.12 व 693 रकवा 0.20 व 710 रकवा 0.05 व 93 रकवा 0.37 व 1277 रकवा 0.19 व 1580 रकवा 0.60 व 1661/2002 रकवा 0.23 व 1854 रकवा 0.47 व 1935 रकवा 0.18 किता 24 रकवा 5.89 है. खसरा नम्बरान 690 रकवा 0.49 व 691 रकवा 0.01 व 692 रकवा 0.06 किता 3 कुल रकवा 0.56 है. व 1933 रकवा 0.46 व 1934 रकवा 0.67 किता 2 रकवा 1.13 है. वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमांबदी संबत 2070–2073 वाके ग्राम भौसींगा पेश है।

3. यह है कि आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात सायलान के परबाबा व ददिया सुसर चिरंजी की पैतृक संपत्ति की आराजीयात है जो कि गैरसायल सं. 01 हरीसिंह व गैरसायल सं. 2 रामादेवी जो सायलान के बाबा व सगी परदादी है को जरिये विरासतन चिरंजी के मरने के बाद गैरसायल सं. 1 व 2 को प्राप्त हुयी है। जिसका सजरा भी पेश है।

4. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजीयात सायलान के क्रमशः परबाबा व ददिया सुसर चिरंजी की पैतृक संपत्ति की आराजी है जो कि प्रतिवादी सं. 01 हरीसिंह व गैरसायल सं. 02 रामादेवी जो सायलान के सगे बाबा व परदादी है को जरिये विरासतन चिरंजी के मरने के बाद गैरसायल सं. 1 व 2 को प्राप्त हुयी है जिसमें सायलान का अपने पिता व पति ओमप्रकाश के हिस्से पर जन्म से हक अधिकार प्राप्त है।

5. यह है कि सायलान के पिता व पति ओमप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है। इसलिये सायलान के हक हकूकों कौ मारने के उद्धेश्य से वर्तमान रिकॉर्ड में गैरसायलान सं. 1 व 2 के नाम गलत इन्द्राजात का फायदा उठाकर गेरसायल सं. 01 ने दो तथाकथित दिखावटी वयनामा दिनांक 04.06.10 को गैरसायलान सं. 4 व 5 व 3 को गैरसायल सं. 1 के सगे पुत्र व पुत्री है को करा दिया है जिसका दाखिल खारिज भी गैरसायलान सं. 3 व 4 व 5 के हक में हो गया है एवं गैरसायलान सं. 2 ने सायलान के हक हकूकों को समाप्त करने की गरज से एक तथाकथित दिखावी रिलीज डीड दिनांक 28.05.18 को गेरसायलान सं. 05 कें हक में करा दी है। जिसमें सायलान को सख्त हकतफी है जो कि सायलान के हक व हिस्से तक निम्न आधारों में वातिल व वेअसर है व प्रारंभ में शून्य है एवं नल एण्ड वोईड है।

5A यह कि उपरोक्त आराजीयात गैरसायलान सं. 1 व 2 को अपने पिता व पति चिरंजी के जरिये विरासतन प्राप्त हुयी है। चिरंजी सायलान का परबाबा व ददिया सुसर है जिसकी आराजीयात में सायलान को अपने पिता व पति ओमप्रकाश के हिस्से तक जन्म से ही अधिकार प्राप्त है इसलिये सायलान के पिता व पति ओमप्रकाश के हिस्से तक उपरोक्त तथाकथित व दिखावटी वयनामा व रिलीज डीड बोईड है व वातिल व वेअसर है व नल एण्ड वोईड है।

5B यह है कि उपरोक्त तथाकथित व दिखावटी वयनामा में प्रतिफल का लेन–देन नहीं किया गया है इसलिये बिना प्रतफल उक्त वयनामा वातिल व वेअसर है व सायलान के पिता व पति ओमप्रकाश के हितो तक नल एण्ड वोर्टड व प्रारम्भ में शून्य है।

Scanned with CamScanner

5C यह कि दिनांक 28.05.18 को गैरसायल सं. 2 द्वारा की गयी रिलीज डीड पैतृक संपत्ति की आराजीयात होने के कारण सभी वारिसान को होनी चाहिये थी इसलिये सायलान के पिता व पति के हितों हक तक उक्त रिलीज डीड वातिल व बेअसर है व प्रारंभ में शून्य है।

5D यह कि उपरोक्त आराजीयात पर सायलान एवं गैरसायलान अपने अपने हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड दर्ज है तथा कब्जे का अभी कोई आदान प्रदान नहीं किया गया है इसलिये बिना कब्जा आदान प्रदान किये बयनामा व रिलीज डीड वातिल व बेअसर है व सायलान के पिता व पति ओमप्रकाश के हितों व हक तक नल एण्ड वोईड है।

6. यह कि गैरसायलानों ने दिनांक 28.05.18 को यह धमकी दी है कि वे सायलान के हक हकूकों को समाप्त करने के उद्देश्य से कराये गये बयनामा व रिलीज डीड के आधार पर हुये इन्द्राजात का फायदा उठाकर उपरोक्त आराजीयात को दीगर सख्शों को रहन बयमुंतकिल कर देंगे तथा सायलान को सायालानों के हक व हकूकों से महरूम कर देंगे जबकि गैरसायलानों को ऐसा करने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर गैरसायलान अपनी दी गयी धमकी में कामयाब हो गये तो सायलान को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। अतः सायलान के हक व हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

7. यह है कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तासैफला मुकदमा जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जावे कि वो प्रार्थना पत्र की वर्णित मद सं. 2 में विवादित आराजी में मदाखलत व मजामहत नहीं करे व रहनवयमुंतकिल नहीं करे साथ ही राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रार्थी की तरफ से श्री ओमप्रकाश पाराशर व श्री अशोक कुमार एडवोकेट पेश हुये। अप्रार्थी सं. 1लगायत 6 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री रघुवीरशरण एडवोकेट उपस्थित हुये जिनके द्वारा जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है :-

1. यह कि मद सं. 1 प्रार्थना पत्र सायलान में दावा न्यायालय श्रीमान में पेश होना मुझ प्रार्थी को स्वीकार है, अन्य तथ्य असत्य होने की वजह से अस्वीकार है।
2. यह कि मद सं. 2 प्रार्थना पत्र सायलान में विवादित आराजी वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई में स्थित होना हम अप्रार्थीगण को स्वीकार है।
3. यह कि मद सं. 3 प्रार्थना पत्र सायल में विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 हरीसिंह के हिस्से की खातेदारी की आराजी पर अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 5 के नाम रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित है। तथा अप्रार्थी सं. 2 ने अपने हिस्से की आराजी का 1/2 हिस्सा की रिलीज डीड अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 4 तथा 1/2 हिस्से की रिलीज डीड प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 9 के नाम कर दी है, तथा राजराहम अप्रार्थीगण को स्वीकार है।

Scanned with CamScanner

4. यह कि मद सं. 4 प्रार्थना पत्र सायलान हम प्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है। विवादित आराजी में अप्रार्थी सं. 2 को विरासतन से 1/3 हिस्से पर खातेदारी प्राप्त हुयी है तथा अप्रार्थीगण सं 3 लगायत 5 ने जरिये रजि. विक्रय पत्र की मतन अप्रार्थी सं. 1 से अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से को खरीद किया है, तथा उनके नाम खातेदारी अंकित हो रही है इसलिये वर्तमान में विवादित आराजी पैतृक नहीं है तथा हम अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 5 की खातेदारी अंकित हो रही है यह आराजी हमारी खरीदशुदा आराजी है जिस पर हम प्रार्थीगण खातेदार की हैसियत से काबिज चले आ रहे है इसलिये विवादित आराजी पर कोई हक सायलान को प्राप्त नहीं होता है तथा प्रार्थना पत्र सायलान काबिल खारिजी है।

5. यह कि मद सं. 5 प्रार्थना पत्र सायलान हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है सभी तथ्य सायलान ने असत्य तहरीर किये है मद सं. 5 में मुझ अप्रार्थी हरीसिंह का पुत्र ओमप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है यह तथ्य स्वीकार है। अन्य तथ्य असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। हम अप्रार्थीगण से. 3 लगायत 5 ने अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से को जरिये रजि. विक्रय पत्र की मतन खरीद किया है तथा कब्जे के आधार पर विवादित आराजी का नामांतकरण हम अप्रार्थीगण के हक में दर्ज किया गया तथा रिकॉर्ड में हम अप्रार्थीगण की खातेदारी अंकित हो रही है तथा अप्रार्थी सं. 2 ने विवादित आराजी में अपना निहित हिस्सा जरिये रिलीज डीड तारीख 28.05.18 के अनुसार 1/2 हिस्से पर अप्रार्थीगण 3 लगायत 4 को तथा 122 हिस्सा अप्रार्थीगण सं. 7 लगायत को करा दिया है। तथा कब्जा भी वक्त रिलीज उक्त अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया है तथा विक्रयपत्र तारीख 04.06.10 तथा रिलीज डीड तारीख 28.05.18 दिखावटी नहीं है बल्कि वैधानिक तरीके से तहरीर किये गये हैं। जिसे सायलान वातिल व बेअसर के अधिकारी नहीं है।

5A यह कि इस मद में सभी तथ्य सायलान ने असत्य तहरीर किये है जो हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है। हम अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 5 ने जरिये रजि. विक्रय पत्र तारीख 04.06.10 को कीमतन अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से को खरीद किया है। उस समय सायलान 1 आर्यन का जन्म ही नहीं हुआ था तथा सायल सं. 2 का विक्रय पत्र के समय कोई हक नहीं बनता है इसलिये उक्त विक्रय पत्र दिखवटी नहीं है इसके अलावा अप्रार्थी सं. 2 ने विवादित आराजी में अपने हिस्से में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 4 को तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 9 को जरिये रजि. रिलीज डीड तारीख 20.05.18 को तहरीर किया है तथा अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी की खातेदारी की आराजी है। सायलान का उसके जीवनकाल में कोई हक नहीं बनता है। इसलिये रिलीज डीड तारीख 28.05.18 वैधानिक है।

5B यह कि इस मद में सभी तथ्य सायलान ने असत्य तहरीर किये है जो हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है। हम अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 5 ने अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा जरिये रजि. विक्रय पत्र तारीख 04.06.10 को कीमतन खरीद किया है तथा कब्जा भी वक्त विक्रय पत्र अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त कर लिया है। तभी से हम अप्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से पर काबि चले आ रहे हैं। तथा उसके आधार पर रिकॉर्ड पर हम अप्रार्थीगण की खातेदारी अंकित नहीं हो रही है ऐसी स्थिति में सायलान उक्त विक्रय पत्र को नल एण्ड वोईड घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

Scanned with CamScanner

5C यह कि इस मद में सभी तथ्य सायलान ने असत्य तहरीर किये हैं जो हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है अप्रार्थी सं. 2 ने अपना हिस्सा जरिये रिलीज डीड तारीख 28.05.18 को अपने वारिसान को तहरीर कराया है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से. 2 के जीवनकाल में उसके वारिस नहीं है।

5D यह कि इस मद में सभी तथ्य सायलान ने असत्य तहरीर किये हैं जो हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। तथा अप्रार्थी सं. 1 ने विवादित आराजी में अपने निहित हिस्सा जरिये रजि. विक्रय पत्र हम अप्रार्थीगण को विक्रय कर दिया है, तथा हम अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 5 अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। कब्जे के आधार पर हम अप्रार्थीगण की विवादित आराजी पर खातेदारी अंकित हो रही है। तथा रिलीज डीड के आधार पर प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 व 1/2 हिस्से पर अप्रार्थीगण सं. 7 लगायत 9 काबिज चले आ रहे हैं।

6. यह कि मद सं. 6 प्रार्थना पत्र सायलान ने असत्य एवं मनगढन्त तहरीर किये हैं जो हम अप्रार्थीगण स्वीकार नहीं है। सायलान को विवादित आाजी पर कोई कब्जा नहीं है इसलिये हम अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.05.18 को धमकी देने का कोई सवाल ही पैदा नही होता है।
7. यह है कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के हक में है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति हाल जमाबंदी संबत 2070–73 वाके ग्राम भौसींगा,फोटोप्रति नकल वयनामा दिनांक 04.06.2010, फोटोप्रति नकल जमाबंदी संबत 2052–55 वाके ग्राम भौसींगा, फोटोप्रति नकल सेटलमेन्ट संबंत 2060 वाके ग्राम भौसींगा, फोटोप्रति नकल सेटलमेन्ट संबत 2028 तहसील नदबई पेश किये गये।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति नकल वयनामा दिनांक 04.06.2010, फोटोप्रति एफआईआर न 52 दिनांक 16.03.2011,फोटोप्रति अंतिम रिपोर्ट (एफआर) जिला एवं सेशन न्यायालय भरतपुर, नकल फोटोप्रति रिलीज डीड दिनांक 28.05.2018 तहसील नदबई पेश किये गये।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र में निम्नांकित तथ्यों को बतलाया गया जो निम्नानुसार हैं :–

दावा धारा 53,88,188 के तहत प्रार्थी द्वारा अपने दादा की पैतृक आराजी में खातेदारी घोषणा का है, विवादित आराजी मद सं. 2 में वर्णित है। जो कि प्रार्थी की पैतृक आराजी है। प्रार्थी द्वारा मद सं. 3 में सिजरा वर्णित किया है। अप्रार्थी द्वारा सिजरे पर कोई आपत्ति नहीं की है, एवं अपने जबाब की मद सं. 3 में सिजरे को स्वीकार किया है, एवं प्रार्थी के दादा द्वारा अप्रार्थी 3,4,5 जो कि स्वयं के पुत्र व पुत्री हैं को बिना प्रतिफल के विवादित आराजी का बेचान किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को दावे के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति

Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

बनाये रखने के लिये पाबंद किया जावे। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिये नजीर आरआरडी 2016–17 पेज न. 678 पेश की है।

अप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब के निम्न तथ्यों को दोहराया गया जो निम्नानुसार हैं :–

प्रार्थी का जन्म 23.08.2010 को हुआ जिसे प्रार्थी सं. 2 द्वारा एफआईआर न 62 में भी वर्णित किया है, जबकि वयनामा जन्म से पूर्व 04.06.2010 को किया गया था। अतः प्रार्थी सं. 1 का विवादित आराजी में वक्त वयनामा हक नहीं था। प्रार्थी वयनामें को अवैद्य घोषित करवाना चाहते हैं। अतः राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अपने तर्क को सिद्ध करने हेतु नजीर आरआरडी 1991(डीवी) पेज न. 321 रमनलाल बनाम छोटेखान, आरआरडी 1984(डीबी) पेज न. 873 श्रीरोडा बनाम श्रीजेता, आरआरडी 1994 पेज न. 327 बागसिंह बनाम शिवदानसिंह पेश की। प्रार्थी सं. 2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अप्रर्थी सं. 1 के परिवार की सदस्य नहीं है। प्रार्थी सं. 2 द्वारा करवायी गयी एफआईआर में भी एफआर लग चुकी है।

प्रार्थी वकील द्वारा अपने रिवीटल में कहा कि प्रार्थी वयनामे को अवैद्य घोषित नही करवाना चाहता है। प्रार्थी का अपने मां की कोख से ही अपने दादा की पैतृक संपत्ति में हक है एवं वयनामा प्रारम्भ से ही शून्य है। एवं वयनामा प्रार्थी सं.1 को उसके हकों से वंचित रखने के लिये किया गया था एवं प्रार्थी सं. 2 जो कि एक विधवा है के साथ मारपीट करने के कारण वह अपने सुसराल नहीं रहती है। प्रार्थी के हकों का निर्धारण साक्ष्य के बाद सुनवाई करके होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावे के निस्तारण तक अप्रार्थी को विवादित आराजी के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबंद किया जावे।

1. प्राईमाफेसी केस :– दावा राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88,188 के अंतर्गत खातेदारी घोषणा का है। प्रार्थी सं. 1 अपने दादा की पैतृक संपत्ति जो प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित है में से अपने हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा चाहता है। प्रार्थी के पिता ओमप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थी के दादा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित आराजी का बेचान अप्रार्थी सं. 3 लगायत 5 जो अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र व पुत्री है को किया जा चुका है। अप्रार्थीगण का तर्क है कि विवादित आराजी का बेचान प्रार्थी सं. 1 के जन्म के पूर्व किया गया है। अतः वक्त वयनामा प्रार्थी सं. 1 का विवादित आराजी में हक नहीं होने के कारण प्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी में खातेदारी घोषणा नहीं करा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक संपत्ति होने व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सिजरे पर कोई आपत्ति नहीं की है। साथ ही अपने जबाब की मद में प्रार्थी के पिता की मृत्यु एवं वयनामे को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण का तर्क है कि अप्रर्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण को विवादित आराजी में हकों से वंचित रखने के लिये बिना प्रतिफल के अपने परिवार जनों को वयनामा संपादित किया है। जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि प्रार्थी का अपने मां के गर्भ में आते ही विवादित आराजी में हक है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विन्दु यह है कि प्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी में अपनी मां के गर्भ से ही हक मानते हैं जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के जन्म के पूर्व संपत्ति के विक्रय हो जाने के कारण प्रार्थी का विवादित आराजी में हक नहीं मानते

Scanned with CamScanner

है। उक्त विवाद का निर्णय उभयपक्ष की सुनवायी व साक्ष्य के बाद दिया जायेगा। यदि विवादित आराजी के रिकॉर्ड में दौराने वाद बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा व वाद के निस्तारण में भी अनावश्यक देरी होगी।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण पर पूर्णतया लागू होती है। अप्रार्थीगण की नजीर प्रकरण पर लागू नहीं होती है। अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

2. सुविधा का सन्तुलन –: बिन्दु सं. 1 के मद्देनजर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।
3. अपूर्णीय क्षति –: चूंकि प्रार्थी सं. 1 नाबालिग है एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थी की मां प्रार्थी सं. 2 विधवा महिला है जो अपने स्वर्गीय पति के घर को छोडकर पहले से ही अपने पिता के घर रह रही है। अतः विवादित आराजी के रिकॉर्ड में बदलाव की स्थिति में प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी व परेशानी का सामना करना पडेगा एवं दावे के निस्तारण में अनावश्यक देरी होगी। जोकि प्रार्थीगण के लिये अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 374 रकवा 0.19 व 375 रकवा 0.20 व 376 रकवा 0.35 व 559 रकवा 0.31 व 569 रकवा 0.30 व 569 रकवा 0.31 व 602 रकवा 0.25 व 675 रकवा 0.27 व 676 रकवा 0.01 व 681 रकवा 0.14, व 682 रकवा 0.35 684 रकवा 0.33 व 685 रकवा 0.25 व 686 रकवा 0.12 व 689 रकवा 0.12 व 693 रकवा 0.20 व 710 रकवा 0.05 व 93 रकवा 0.37 व 1277 रकवा 0.19 व 1580 रकवा 0.60 व 1661/2002 रकवा 0.23 व 1854 रकवा 0.47 व 1935 रकवा 0.18 किता 24 रकवा 5. 89 है. खसरा नम्बरान 690 रकवा 0.49 व 691 रकवा 0.01 व 692 रकवा 0.06 किता 3 कुल रकवा 0.56 है. व 1933 रकवा 0.46 व 1934 रकवा 0.67 किता 2 रकवा 1.13 है. वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई जिला भरतपुर पर विवादित आराजीयात की दावे के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पावंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलंशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

Scanned with CamScanner